

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारी:- श्री कुसुमलता चौहान (आर.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रकरण संख्या :-13 /2024

प्रार्थीगण:-	बनाम	अप्रार्थीगण:-
1. जनकी देवी पत्नी जगदीशचन्द्र जाति मेघवाल निवासी खारीया नीव	1. तहसीलदार (भूमि-धाराक), सोजत जिला पाली	
2. रमेश पुत्र जगदीशचन्द्र जाति मेघवाल निवासी खारिया नीव		
3. रेखा पत्नी प्रकाश पुत्री जगदीशचन्द्र जाति मेघवाल निवासी खारिया नीव		

राजस्व विविध प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति:-

1. श्री पुनीत दवे अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत

:- निर्णय :-

दिनांक - 16.3.24

अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956 अप्रार्थीगण के इस आशय से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम खारीया नीव, पटवार हल्का खारीया नीव, भू.अ.नि. क्षेत्र खारीया नीव तहसील सोजत में निम्नासार प्रार्थीगण एवं अन्य सहखातेदारान की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि स्थित है, खाता संख्या नया 445 एवं पुराना: 406, ख0न0 1399 रकबा 3.0700 है0, ख0न0 553/1663 रकबा 1.0300 है0, ख0न0 567 रकबा 1.1500 है0, 569/1665 रकबा 1.4200 है0 ख0न0 576 रकबा 0.2800 है0 ख0न0 577 रकबा 10.2400 है0 ख0न0 606 रकबा 4.3800 है0 ख0न0 669 रकबा 1.7100 है0 कुल खसरे 08 कुल रकबा 23.2800 है0 किस्म कृषि भूमि स्थित है। वादग्रस्त कृषि भूमि पूर्व में गोदाराम, हिमताराम, जावताराम, पिसरान बालूराम कौम मेघवंशी सा.देह खातेदार के नाम की रेवेन्यू रिकर्ड में दर्जसुदा रही, जो कि राजस्व रिकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2046 से 2049 से बखुबी साबित है, तत्पश्चात प्रार्थीगण के पिता जगदीशचन्द्र की मृत्यु वर्ष 1997 में हो गई तथा प्रार्थीगण के दादा हिमताराम जी की मृत्यु वर्ष 2005 में होने के पश्चात प्रार्थीगण के पिता जगदीशचन्द्र, प्रार्थीगण के दादा हिमताराम का फौतेदगी नामान्तरण संख्या 956 दिनांक 13.01.2007 को भर कर स्वीकृत किया गया, तत्पश्चात रेवेन्यू रिकर्ड जमाबन्दी हिमताराम फोट के स्थान पर तुलसाराम पुत्र हिमताराम, विदिया पुत्री हिमताराम फोट के स्थान पर तुलसाराम पुत्र हिमताराम, विदिया पुत्री हिमताराम, जानकी पत्नी जगदीश, रामचन्द्र, खेताराम, रमेशचन्द्र पुत्र जगदीश, रेखा पुत्री जगदीश दर्ज किया गया। प्रार्थीगण के पिता/पति को ग्राम खारीया नीव में जगदीशचन्द्र नाम से भी जानते थे, जबकी जगदीश का वास्विक व सही नाम दस्तावेजो व जगदीशचन्द्र था। प्रार्थीगण के पिता/पति जगदीशचन्द्र के व प्रार्थीगण के तमाम दस्तावेजों में उनकी वटदीयत में उनके पिता का नाम जगदीशचन्द्र ही दर्ज है। प्रार्थीगण के पिता/पति के आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाणपत्र में भी जगदीशचन्द्र ही अंकित है। लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने बिना दस्तावेजी साक्ष्य की जाँच किये प्रार्थीगण के पिता/पति का नाम राजस्व रिकर्ड में जगदीशचन्द्र के स्थान पर जगदीश दर्ज कर दिया। जिसको दुरुस्त कर जानकी पत्नी जगदीश के स्थान पर जानकी पत्नी जगदीशचन्द्र, रामचन्द्र पुत्र जगदीश के स्थान पर रामचन्द्र पुत्र जगदीशचन्द्र, खेताराम पुत्र जगदीश के स्थान पर खेताराम पुत्र जगदीशचन्द्र, रमेश पुत्र जगदीश के स्थान पर रमेश पुत्र जगदीशचन्द्र व रेखा पुत्री जगदीश के स्थान पर रेखा पुत्री जगदीशचन्द्र दुरुस्त किये जाने की ईशतदुआ की है।

अप्रार्थी तहसीलदार सोजत द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करना चाहने से जबाब प्रार्थना पत्र बन्द किया जाता है। तहसीलदार सोजत से वस्तुस्थिति रिपोर्ट हेतु प्राप्त की

सोजत (स.स.)

गई। तहसीलदार सोजत मय मौका फर्द अनुसार माफिक ईशतदुआ दुरुस्ती किए जाने की ईशतदुआ की है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार सोजत सूनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया किया राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थीगण के पिता/पति के आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाणपत्र में भी जगदीशचन्द्र ही अंकित है। लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने बिना दस्तावेजी साक्ष्य की जाँच किये प्रार्थीगण के पिता/पति का नाम राजस्व रेकॉर्ड में जगदीशचन्द्र के स्थान पर जगदीश दर्ज कर दिया। जिसको दुरुस्त कर जानकी पत्नी जगदीश के स्थान पर जानकी पत्नी जगदीशचन्द्र, रामचन्द्र पुत्र जगदीश के स्थान पर रामचन्द्र पुत्र जगदीशचन्द्र, खेताराम पुत्र जगदीश के स्थान पर खेताराम पुत्र जगदीशचन्द्र, रमेश पुत्र जगदीश के स्थान पर रमेश पुत्र जगदीशचन्द्र व रेखा पुत्री जगदीश के स्थान पर रेखा पुत्री जगदीशचन्द्र दुरुस्त किया जावे। जबकि बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना, फहरिस्त मय दस्तावेज, तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार सोजत गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सोजत की रिपोर्टनुसार प्रार्थीगण के पिता / पत्नी का नाम जगदीशचन्द्र होने की पुष्टि होती है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

--:आदेश:-


उपर्युक्त विवेचन / विश्लेषण अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम खारीया नीव, पटवार हल्का खारीया नीव, भू.अ.नि. क्षेत्र खारीया नीव तहसील सोजत के ख0न0 1399 रकबा 3.0700 है0, ख0न0 553/1663 रकबा 1.0300 है0, ख0न0 567 रकबा 1.1500 है0, 569/1665 रकबा 1.4200 है0 ख0न0 576 रकबा 0.2800 है0 ख0न0 577 रकबा 10.2400 है0 ख0न0 606 रकबा 4.3800 है0 ख0न0 669 रकबा 1.7100 है0 कुल खसरे 08 कुल रकबा 23.2800 है0 की कृषि भूमि में जानकी पत्नी जगदीश, के स्थान पर जानकी पत्नी जगदीशचन्द्र, खेताराम पुत्र जगदीश के स्थान पर खेताराम पुत्र जगदीशचन्द्र, रमेश पुत्र जगदीश के स्थान पर रमेश पुत्र जगदीशचन्द्र रेखा पुत्री जगदीश के स्थान पर रेखा पुत्री जगदीशचन्द्र दुरुस्त रूप से इन्द्राज किए जाने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिए जाते हैं। तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।



(कुसुमलता चौहान)
उप खण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 16.3.24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।





(कुसुमलता चौहान)
उप खण्ड अधिकारी, सोजत